02.06.2020

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं० :–2/अ०प्र०–2–247/2019 1007 /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली को कार्य प्रमंडल, रजौली अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत निर्मित एन0एच0–31 से प्राणचक ग्राम पथ का अनुरक्षण कार्य निम्न गुणवत्ता का कराने एवं अन्य आरोपों के आलोक में अधिसूचना ज्ञापांक 3706 दिनांक 23.12.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 207 अनु0 दिनांक–09.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 24.01.2020 की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत उसे अस्वीकृत करते हुए श्री राय के विरूद्ध उक्त आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री राय के विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अधीन श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री प्रवीण कुमार सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 1/6/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–2–247/2019 1007 (अनु०) /पटना, दिनांक :– 2.6.2020

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालिस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

ह० 1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–2–247/2019 1007(अ)/पटना, दिनांक :– 2-6-2020

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री प्रवीण कुमार सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री सत्येन्द्र राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–2–247/2019 1007 /पटना, दिनांक :– 2-6-2020

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव